अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 890(अ).— केन्द्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (घ), (ङ) और (च) के साथ पठित धारा 5 उपधारा (2), (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) प्रत्यायन अभिकरण नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है ;

(ख) "आवेदक" से नियम 4 के अधीन किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहने के लिए प्राधिकरण को आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) 'प्रमाणपत्र' से नियम 6 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(घ) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(2) शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनको वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अर्हताएं और अन्य अपेक्षाएं - किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित अर्हताएं और अन्य अपेक्षाएं पूरी करेगा, अर्थात् :-

(i) ऐसा व्यक्ति --

(क) या तो पब्लिक या प्राइवेट कोई निगमित निकाय होगा और कंपनी अधिनियम, 1956 या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निगमित होगा ;

(ख) सरकारी निकाय या सरकारी संबद्ध निकाय होगा ;

(ii) ऐसा व्यक्ति आवश्यक अवसंरचनाएं रखता हो जिसके अंतर्गत पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपस्कर प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारीवृंद भांडागारण के क्षेत्र में विशेषज्ञता, वित्तीय सक्षमता और प्राधिकरण की समाधानप्रद रूप में विश्वसनीयता रखता हो ; और

(iii) ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भांडागारण कारबार में न लगा हो ।

4. किसी प्रत्यायन अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन -

(1) कोई व्यक्ति नियम 3 के अधीन विनिर्दिट अर्हताएं और अन्य अपेक्षाएं रखता हो और किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने की इच्छा रखता हो, प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप-क में, आवेदन दो प्रतियों में कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होंगे -

(क) पहचान का सबूत जैसे किसी विधिक अस्तित्व जिसके अंतर्गत निगमन का प्रमाणपत्र, संगम ज्ञापन और संगम - अनुच्छेद भी हैं ;

(ख) स्वामियों, शेयरधारकों, स्वत्वधारी और आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नामों की सूची ;

(ग) आवेदक द्वारा लगाए गए प्रमुख प्रबंध कार्मिकों और तकनीकी विशेज्ञों की सूची और उनकी अर्हताएं तथा भांडागारण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव ;

(घ) संपरीक्षित रिपोर्ट के प्ररूप में वित्तीय विश्वसनीयता की विवरणी या समर्थित दस्तावेजों के साथ बजट विवरण ;

(ङ) घोषणा कि आवेदक किसी भांडागारण में प्रत्यायित नहीं है जिसमें उसके हितों का सीधा विरोध है ;

(च) घोषणा कि आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा ; और

(छ) पच्चीस हजार रुपये के अप्रतिदेय रजिस्ट्रीकरण फीस जो आहरण और संवितरण अधिकारी, भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से संदेय होगी ; और

(ज) आहरण और संवितरण अधिकारी, भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से एक लाख रुपये की प्रतिभूति निक्षेप करेगा :

परंतु सरकार नियंत्रित संस्था या निकाय प्रतिभूति सुरक्षा निक्षेप के संदाय से छूट प्राप्त होगा ।

5. **रजिस्ट्रीकरण के समय जांच करने और जानकारी मांगने की शक्ति** -- (1) प्राधिकरण नियम 6 के अधीन किसी प्रत्यायन अभिकरण को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले ऐसी जांच कर सकेगा और आवेदन में प्रत्यायन अभिकरण द्वारा दी गई सूचनाओं से भिन्न ऐसी और जानकारी की अपेक्षा कर सकेगा जिसे वह उचित समझे ।

(2) प्राधिकरण किसी भी समय ऐसी जानकारी मांग सकेगा और आवेदक उसके द्वारा नियत समय के भीतर प्राधिकरण को ऐसी जानकारी देगा ।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र --प्राधिकरण समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक अर्हताएं और अन्य अपेक्षाएं पूरी करता है आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे, प्ररूप ख में प्रदान करेगा ।

7. रजिस्ट्रीकरण नामंजूर करना -- प्राधिकरण किसी आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रदान करने से कारणों को लेखबद्ध करते हुए, नामंजूर कर सकेगा और इस प्रकार पारित आदेश की एक प्रति उसे देगा :

IndiaCode

परंतु ऐसे आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले प्राधिकरण आवेदक को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देगा ।

8. विधिमान्यता और नवीकरण -- नियम 6 के अधीन प्रदान किए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और नियम 4, 5, 6 और 7 के अधीन उपबंधित रीति में समान अवधि के लिए नवीकरण योग्य होगा ।

9. प्रत्यायन अभिकरण के कर्तव्य -- प्रत्येक प्रत्यायन अभिकरण -- (क) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्राप्त होने पर ऐसे प्रमाणपत्र का अपने कारबार के प्रमुख स्थान पर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ;

(ख) प्रत्येक भांडागारण के संबंध में एक निर्धारण रिपोर्ट बनाएगा कि उसकी एक प्रति निर्धारिती और तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अनुरक्षित रखेगा ;

(ग) प्रत्यायन भांडागारण के संबंध में लेखे, बहियों , अभिलेख और दस्तावेज रखेगा ;
(घ) उसे प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय नहीं होगा ;
(ङ) प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी समय कार्यालय, बहियों, अभिलेखों, कागजपत्रों, लेखों आदि के निरीक्षण को अनुज्ञात करेगा और सहायता प्रदान करेगा ; और
(च) प्रत्यायन भांडागारण का रजिस्टर प्ररूप - ग में रखा जाएगा और सूची को अपनी वैबसाइट पर प्रकाशित करेगा ।

10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करना -- (1) जहां कोई रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र खो गया है, क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया है । प्राधिकरण प्ररूप-घ किसी अनुरोध की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र फट गया है या विरूपित हो गया है, प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्राधिकरण को उसे अभ्यर्पित करने पर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन के साथ पांच हजार रुपये की फीस होगी जो आहरण और संवितरण अधिकारी भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में, किसी राष्ट्रीयकृत मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से संदेय होगी ।

11. प्रत्यायन अभिकरणों के रजिस्ट्रीकरण को प्रदान करने और सूची का प्रकाशन -- नियम 6 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं प्रत्यायन अभिकरणों के नाम और पतों की सूची समय-समय पर प्राधिकरण की वैबसाइट पर सम्यक रूप से प्रदर्शित होंगे ।

12. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन और रद्दकरण -- (1) प्राधिकरण किसी प्रत्यायन अभिकरण को प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर सकेगा यदि --

(क) वह आवेदन में गलत जानकारी देता है ;
(ख) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिट रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों और निबंधनों के अनुपालन में असफल रहता है ;
(ग) नियम 9 के अधीन विनिर्दिट कर्तव्यों के पालन करने में असफल रहता है

(2) यहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपनियम (1) के अधीन निलंबित या रद्दकरण होता है, प्राधिकरण नियम 4 के उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन संदेय की गई सुरक्षा जमा को अभ्यर्पित कर लेगा ।

प्ररूप क

(नियम 4 (1) और 8 देखें)

किसी प्रत्यायन अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने /रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण* करने के लिए आवेदन

सेवा में

भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण
.....
.....
नई दिल्ली ।

आवेदक का फोटो

महोदय,

मै/हम.....भारत..... में..... मुख्य..... रजिस्ट्रीकृत कार्यालय.....जिला..... राज्य.....कार्यालय तार/ना न0..... टेलीफोन नं0ई-मेल..... अभिकरण का रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने /रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण*से.....तक करने के लिए अनुरोध करता हूँ /करते हैं ।

1. अभिकरण की प्रास्थिति(व्यष्टि/फर्म/कंपनी/सरकारी संगठन/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).....

2. भारत में कार्यालय/शाखाओं की संख्या

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत व्यापारवर्त

4. पिछले वित्त वर्ष के अंतिम दिन

5. अलग शीट पर निम्नलिखित दें

(i) संगठनात्मक संरचना, प्रत्यय र

(ii) अन्य ब्यौरे जो समय-समय प

6. अप्रतिदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में जो बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सं0..... तारीख..... पच्चीस हजार रुपये के (राष्ट्रीयकृत बैंक /शाखा का पता) जो नई दिल्ली में संदेय होगा ।

7. प्रतिभूति जमा रुपये एक लाख जो बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में (राष्ट्रीयकृत बैंक /शाखा का पता) सं0..... तारीख..... जो नई दिल्ली में संदेय होगा ।

8. विद्यमान या पूर्ववर्ती रजिस्ट्रीकरण संख्यांक**तारीख.....

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

IndiaCode

** यदि लागू न हों तो काट दें ।

घोषणा

1. मैं/हम प्रत्यायन अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने को संगठन के प्राधिकृत प्रतिनिधि होने की घोषणा करता हूँ/करते हैं ।

2. मैं/हम प्रत्यायित भांडागारण के साथ हितों का कोई सीधा संघर्ष नहीं रखता हूँ या रखते हैं ।

3. मैं/हम भांडागारण (विकास और विनियमन) प्रत्यायन अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण नियम, 2010 के नियम 4 के अधीन इस आवेदन से उपाबद्ध रिपोर्ट में अपेक्षित सभी ब्यौरे को उपलब्ध करा दिया है/ दिए हैं ।

4. मैं /हम रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/ सहमत हैं ।

5. मैं /हम यह सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं /करते हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं मेरे /हमारे ज्ञान में सत्य व सही हैं और यदि किसी दशा में वह असत्य सिद्ध हों तो मैं /हम ऐसी मिथ्या या असत्य जानकारी से उत्पन्न होने वाली किसी क्षति के विरुद्ध इस कारबार में संबद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता हूँ/देते हैं ।

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पता.....

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :

1. किसी विधिक अस्तित्व के रूप में पहचान का सबूत जिसके अंतर्गत निगमन का प्रमाणपत्र और संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद ;

2. स्वामी, शेयरधारकों, स्वत्वधारी और आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के नामों की सूची ;

3. आवेदक द्वारा लगाए गए मुख्य प्रबंध कार्मिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की सूची और भांडागारण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अर्हताएं और अनुभव ;

4. संपरीक्षित रिपोर्ट के रूप में या बजट विवरणी के साथ समर्थित दस्तावेजों के साथ वित्तीय विश्वसनीयता का कथन ;

5. घोषणा कि आवेदक का किसी भांडागारण से कोई प्रत्यायन नहीं है जिससे हितों का सीधा संघर्ष रहता हो ;

6. घोषणा कि आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करेगा ; और

7. आहरण और संवितरण अधिकारी, भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण के पक्ष में नई दिल्ली में संदेय किसी राष्ट्रीकृत बैंक के मांगदेय ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के माध्यम से पच्चीस हजार रुपये की अप्रतिदेय रजिस्ट्रीकरण फीस ;

8. आहरण और संवितरण अधिकारी, भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण के पक्ष में नई दिल्ली में संदेय किसी राष्ट्रीकृत बैंक के मांगदेय/ पब्लिक बैंकर्स चैक के माध्यम से एक लाख रुपये की प्रतिभूति जमा की अप्रतिदेय रजिस्ट्रीकरण फीस ;

IndiaCode

प्ररूप - ख

(नियम 6 देखें)

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

किसी प्रत्यायन अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

200.....का रजिस्ट्रीकरण सं0.....

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्रको पच्चीस हजार रुपये की रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय परजिला.....राज्य को भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) विनियम के उपबंधों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए जिला..... राज्य..... पर स्थित किसी प्रत्यायन अभिकरण का कार्य संचालित करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करती है, अर्थात् :-

1. यह रजिस्ट्रीकरण राज्य के लिएसे 201.... तक विधिमान्य होगा ।

2. प्रत्यायन अभिकरण किसी अन्य राज्य जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट उक्त स्थान से भिन्न है प्रत्यायन का कारबार नहीं करेगी ।

3. ये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का विक्रय या अंतरण नहीं होगा ।

4. रजिस्ट्रीकरण भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35(2)(ख) के साथ पठित नियम 12 के उपनियमों के अंतरण में निरसन या निलंबन का दायी होगा ।

5. इस रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रति संहरण या निलंबन होने की दशा में, प्रत्यायन अभिकरण प्राधिकरण को अपने कब्जे में सभी अप्रयुक्त कागज प्ररूपों को अधिकरण को अभ्यर्पित कर देगा ।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्राप्त होने की दशा में प्रत्यायन अभिकरण ऐसे प्रमाणपत्र को अपने कारबार के मुख्य स्थान में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।

7. प्रत्यायन अभिकरण प्रत्येक भांडागारण के संबंध में एक निर्धारण रिपोर्ट तैयार करेगा कि वह निर्धारण और उसकी प्रति तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए रखेगा ।

8. प्रत्यायन अभिकरण प्रत्यायित भांडागारणों से संबंधित लेखे, बहियां, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखेंगे ।

9. प्रत्यायन अभिकरण प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी समय अपने कार्यालय, बहियों, अभिलेखों, कागजपत्रों, खातों आदि का निरीक्षण करने को अनुज्ञा देंगे और सहायता प्रदान करेंगे ।

IndiaCode

10. उसे प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हस्तांतरण नहीं करेंगे।

11. प्रत्यायन अभिकरण प्ररूप ग में प्रत्यायित भांडागारण के रजिस्टर को रखेंगे और अपनी बेबसाईट पर उसकी सूचि प्रकाशित करेंगे।

प्राधिकारी के हस्ताक्षर, मुद्रा

तरीख:

स्थान:

रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण

रजिस्ट्रीकरण की तारीख	अवधि जिसके लिए नवीकरण किया गया है	विहित अधिकारी के हस्ताक्षर, मुद्रा और तारीख
1.		
2.		
3.		

प्ररूप - ग

(नियम 9 देखें)

प्रत्यायित भांडागारणों का रजिस्टर

.....(प्रत्यायन अभिकरण का नाम)

..... (प्रत्यायन अभिकरण का नाम) से प्रत्यायित आवेदकों/भांडागारणों की सूची

क्रम सं.	आवेदक/भांडागार का नाम	प्रत्यायन प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए आवेदन देने की तारीख	भांडागारण के निर्धारण / निरीक्षण की तारीख	क्या प्रत्यायित है यदि हां जिस तारीख को भांडागारण प्रत्यायित है	तारीख जिसको आवेदक/भांडागारण को प्रत्यायन प्रमाणपत्र जारी/रजिस्टर्ड/ स्पीडपोस्ट डाक से भेजा गया है
1					
2					
3					

प्ररूप - घ

(नियम 10 देखें)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति को जारी करने के लिए आवेदन

सेवा में,

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

.....

.....

नई दिल्ली

महोदय,

मैं/हम जिला राज्य में निवास करता हूं/करते हैं निवेदन है कि मेरा/हमारा मूल रजिस्ट्रीकरण सं..... जो को से तक की अवधि के लिए जारी किया गया था निम्नलिखित परिस्थितियों में चोरी हो गया/खो गया है/नष्ट/विकृत हो गया है:

(क)

(ख)

(प्रमाणपत्र के चोरी होने/खो जाने/नष्ट हो जाने की दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति और क्षतिपूर्ति बंधपत्र और यदि वह विकृत है तो मूल प्रमाणपत्र संलग्न करें)

2. मैं/हम आपसे यह निवेदन करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उन्हीं निबंधनों और शर्तों जिन पर उपर्युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक दूसरी प्रति प्रदान करें ।

3. मैं/हम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति को जारी करने के लिए पांच हजार रुपए की फीस का (राष्ट्रीयकृत बैंक/शाखा) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक सं..... तारीख..... (तारीख और ब्यौरे) संलग्न कर रहा हूं/कर रहे हैं ।

4. मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान में सत्य है ।

तारीख

आवेदक का हस्ताक्षर

साक्षी 1.

साक्षी 2.

[फा. सं. टीएफसी/12/2008]

नवीन प्रकाश, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2010

G.S.R. 890(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2), (3) and (5) of section 5 read with clauses (d), (e) and (f) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Accreditation Agencies Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007;

(b) "applicant" means a person making an application to the Authority seeking registration as an accreditation agency under rule 4;

(c) "certificate" means certificate of registration granted under rule 6;

(d) "Form" means the form appended to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Qualifications and other requirements for functioning as an accreditation agency.- Every person desirous of functioning as an accreditation agency shall fulfill the following qualifications and other requirements, namely:-

(i) such person shall be -

(a) a body corporate either public or private, and incorporated under the Companies Act, 1956 or any other law in force;

(b) government body or government affiliated body;

(ii) such person should possess necessary infrastructure including adequate office space, equipment, trained and experienced staff, expertise in the field of warehousing, financial capability and credibility to the satisfaction of the Authority; and

(iii) such person is not directly engaged in warehousing business

4. Application for registration of an accreditation agency. – (1)Any person possessing qualifications and other requirements specified under rule 3 and desirous of being registered as an accreditation agency may make an application to the Authority in duplicate, in Form – A.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by –

(a) proof of identity as a legal entity including certificate of incorporation, Memorandum of Association and Articles of Association ;

(b) list of names of owners, shareholders, proprietor and authorized signatory of applicant;

(c) list of key management personnel and technical experts engaged by the applicant and their qualifications and experience in various fields relating to warehousing;

(d) statement of financial credibility in the form of audited reports or budget statement with supporting documents;

(e) declaration that the applicant shall not accredit any warehouse in which it may have a direct conflict of interest;

(f) declaration that the applicant shall comply with the terms and conditions of certificate of registration; and

(g) a non-refundable registration fee of rupees twenty-five thousand through bank draft/banker's cheque of any nationalized bank in favour of Drawing and Disbursing Officer, Warehousing Development and Regulatory Authority, payable in New Delhi; and

(h) a security deposit of rupees one lakh through bank draft/banker's cheque of any nationalized bank in favour of Drawing and Disbursing Officer, Warehousing Development and Regulatory Authority payable in New Delhi:

Provided that the Government controlled institution or body may be exempted from payment of security deposit.

5. Power to make enquiry and call for information at the time of registration .- (1)Before granting registration to an accreditation agency under rule 6, the Authority may make such inquiry and require such further information, as it deems necessary, other than the information furnished by the accreditation agency in the application.

(2) Authority may call for any information at any time and the applicant shall furnish such information to the Authority within the time stipulated by it .

6. Certificate of Registration. – The Authority shall, after being satisfied that the applicant fulfills the qualifications and other requirements, grant the certificate of registration to the applicant within a period of one month from the date of receipt of application in Form-B and subject to such terms and conditions as it may deem fit.

7. Refusal of Registration. – The Authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to grant the certificate of registration to any applicant and shall furnish him with a copy of the order so passed:

Provided that before rejecting such application, the Authority shall give a reasonable opportunity of hearing to the applicant.

8. Validity and Renewal.- The certificate of registration granted under rule 6 shall be a valid for a period of three years and shall be renewable for a like period in the manner provided under rules 4,5,6 and 7.

9. Duties of accreditation agency.- Every accreditation agency shall-

(a) upon receipt of certificate of registration, display such certificate, in a conspicuous place in the principal place of its business;

(b) make an assessment report in relation to each warehouse that it assesses and shall maintain a copy thereof for a minimum period of three years;

(c) maintain accounts, books, records and documents relating to accredited warehouses;

(d) not transfer the certificate of registration granted to it;

(e) allow and assist the Authority or its authorized representative to inspect its office, books, records, papers, accounts, etc. at any time; and

(f) maintain a Register of accredited warehouses in Form-C and shall publish the list on its website.

10. Issue of duplicate registration certificate. - (1) Where a certificate of registration is lost, damaged or mutilated, the Authority shall issue a duplicate certificate of registration on receipt of a request in Form- D.

(2) A certificate of registration, which is torn or defaced shall be surrendered by the accreditation agency to the Authority on issue of duplicate certificate.

(3) The application for issue of a duplicate certificate of registration shall be accompanied by a fee of rupees five thousand through bank draft/banker's cheque of any nationalized bank in favour of Drawing and Disbursing Officer, Warehousing Development and Regulatory Authority, payable in New Delhi.

11. Publication of grant of registrations and list of accreditation agencies.– The names and addresses of accreditation agencies to whom certificate of registration is granted under rule 6 shall be duly displayed on website of the Authority from time to time.

12. Suspension or cancellation of certificate of Registration.- (1)The Authority may suspend or cancel the certificate of registration granted to a accreditation agency if-

(a) it has furnished wrong information in the application;

(b) it has failed to comply with the terms and conditions of certificate of registration specified by the Authority;

(c) it has failed to perform duties specified under rule 9;

(2) Where the certificate of registration is suspended or cancelled under sub-rule(1), the security deposit paid under clause (h) of sub-rule (2) of rule 4 shall stand forfeited to the Authority.

FORM-A

(See rule 4 (1) and 8)

Application for grant of registration/renewal of registration of an accreditation agency*

To,

The Warehousing Development and Regulatory Authority.
.....
.....
New Delhi.

Photo of applicant

Dear Sir,

I/Wehaving our main/ registered office in India at District State with branch office at Telephone No.....E-mail request for grant of registration/renewal of registration* for functioning as an Accreditation Agency from.....to.....

1.Status of the agency (Individual/firm/company/govt. organization/others. (Please specify).....

2. No. of offices/ branches in India

3. Average Turnover during the last three financial years.....

4. Net worth as on the last day of last financial year.....

5. Detailed information in separate sheet indicating

(i) organizational structure, details of experts with credentials, and nature of activities carried out.

ii) other details as may be required by Authority from time to time

6. A non-refundable Registration fee submitted, in the form of bank draft/banker's cheque of(nationalized bank/branch address) No.....datedpayable at New Delhi for rupees twenty five thousand.

7. Security deposit submitted, in the form of banker's draft/ banker's cheque of.....(nationalized bank/branch address) No..... dated..... for rupees one lakh payable at New Delhi.

8. Existing or Previous Registration Number**.....dated.....

*** Srike off whichever not applicable**
**** Strike off if not applicable**

Declaration

1. I/We declare to be authorized representatives of organization to apply for registration of accreditation agency

2. I/We do not have any direct conflict of interest with warehouses to be accredited.

3. I/We are providing all the details required under Rule 4 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Accreditation Agencies Rules, 2010 in the Report appended to this Application

4. I/We agree to abide by the terms and conditions of the Registration

5. I/We hereby solemnly declare that all information herein given is true to the best of my/our knowledge and that in case it proves to be untrue, we undertake to indemnify person or persons concerned in this business against any loss arising out of such false or untrue information.

Signature;.....
Name in full
Address.....

Documents to be enclosed along with the Application:

1. Proof of identity as a legal entity including certificate of incorporation, Memorandum of Association and Articles of Association ;

2. List of names of owners, shareholders, proprietor and authorized signatory of applicant;

3. List of key management personnel and technical experts engaged by the applicant and their qualifications and experience in various fields relating to warehousing ;

4. Statement of financial credibility in the form of audited reports or budget statement with supporting documents;

5. Declaration that the applicant shall not accredit any warehouse in which it may have a direct conflict of interest;

6. Declaration that the applicant shall comply with the terms and conditions of certificate of registration; and

7. A non-refundable Registration fee of rupees twenty-five thousand through bank draft/banker's cheque of any nationalized bank in favour of Drawing and Disbursing Officer, Warehousing Development and Regulatory Authority, payable in New Delhi; and

8. A security deposit of rupees one lakh through bank draft/banker's cheque of any nationalized bank in favour of Drawing and Disbursing Officer, Warehousing Development and Regulatory Authority payable in New Delhi:

FORM B

(See rule 6)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

for carrying on the business as an Accreditation Agency

Registration No. of 201.....

Certificate of Registration is hereby granted to on payment of Registration fee of rupees twenty five thousand for the conduct of the business of an accreditation agency situated at District Statesubject to the provisions of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007) and on the following conditions, namely: -

1. This registration shall be valid from..... to..... 201... for the State of

2. The Accreditation Agency shall not carry out the business of an accreditation at any State other than the said place specified above.

3. This certificate of registration shall not be sold or transferred.

4. The registration shall be liable to be cancelled or suspended in accordance with the provisions of rule 12 read with section 35(2)(b) of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007).

5. In the event of revocation or suspension of this certificate of registration, the Accreditation Agency shall surrender to the Authority along with all the unused paper forms in his possession.

6. Upon receipt of certificate of registration, the Accreditation Agency shall display such certificate, in a conspicuous place in the principal place of its business.

7. The Accreditation Agency shall make an assessment report in relation to each warehouse that it assesses and shall maintain a copy thereof for a minimum period of three years.

8. The Accreditation Agency shall maintain accounts, books, records and documents relating to accredited warehouses.

9. The Accreditation Agency shall allow and assist the Authority or its authorized representative to inspect its office, books, records, papers, accounts, etc. at any time;

10. The Accreditation Agency shall not transfer the certificate of registration granted to it;

IndiaCode

FORM B

(See rule 6)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

for carrying on the business as an Accreditation Agency

Registration No. of 201.....

Certificate of Registration is hereby granted to on payment of Registration fee of rupees twenty five thousand for the conduct of the business of an accreditation agency situated at District Statesubject to the provisions of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007) and on the following conditions, namely: -

1. This registration shall be valid from..... to..... 201... for the State of

2. The Accreditation Agency shall not carry out the business of an accreditation at any State other than the said place specified above.

3. This certificate of registration shall not be sold or transferred.

4. The registration shall be liable to be cancelled or suspended in accordance with the provisions of rule 12 read with section 35(2)(b) of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007).

5. In the event of revocation or suspension of this certificate of registration, the Accreditation Agency shall surrender to the Authority along with all the unused paper forms in his possession.

6. Upon receipt of certificate of registration, the Accreditation Agency shall display such certificate, in a conspicuous place in the principal place of its business.

7. The Accreditation Agency shall make an assessment report in relation to each warehouse that it assesses and shall maintain a copy thereof for a minimum period of three years.

8. The Accreditation Agency shall maintain accounts, books, records and documents relating to accredited warehouses.

9. The Accreditation Agency shall allow and assist the Authority or its authorized representative to inspect its office, books, records, papers, accounts, etc. at any time;

10. The Accreditation Agency shall not transfer the certificate of registration granted to it;

IndiaCode

11. The Accreditation Agency shall maintain a Register of accredited warehouses in Form-C and shall publish the lists on its website.

Signature, seal of the Authority

Date

Place.....

RENEWAL OF THE REGISTRATION

Date of renewal	Period for which renewed	Signature, seal of the prescribed authority and date
1.		
2.		
3.		

FORM-C

(See Rule 9)

REGISTER OF ACCREDITED WAREHOUSES

.....(name of the accreditation agency)

List of applicants/warehouses accredited with.....(name of the accreditation agency).

S.No.	Name of the applicant/ warehouse	Date of submission of application for issue of certificate of accreditation	Date of assessment/ inspection of the Warehouse	Whether accredited? If so, date on which warehouse accredited.	Date on which accreditation certificate issued/posted to the applicant/ Warehouse by regd./speed post
1.					
2.					
3.					

IndiaCode

FORM D

(See rule 10)

Application for issue of duplicate registration certificate

To

The Warehousing Development and Regulatory Authority
.....
.....
New Delhi.

Photo

Dear Sir,

I/Weresiding at DistrictState request that my/our original registration No. granted on for the period from.....to..... has been stolen/ lost/destroyed/mutilated in the following circumstances :

(a)

(b)

(Enclose a copy of FIR and indemnity bond in case of stolen/lost/destroyed certificate and original certificate if it is mutilated.)

2. I/We therefore, request you to grant me/us a duplicate certificate of registration on the same terms and conditions on which the aforesaid registration was granted.

3. I/We have enclosed fee of rupees five thousand by bank draft/banker's cheque of(nationalized bank/branch) No.....dated.....(date & details) for issuance of duplicate certificate of registration.

4. I/We hereby solemnly declare that the information herein given is true to the best of my/our knowledge.

Date

Signature of Applicant(s)

Witness 1.
Witness 2

[F. No. TFC/12/2008]
NAVEEN PRAKASH, Jt. Secy.